न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली
(कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्या:– 153/2025

श्रीमती नेहा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्या. मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी, कोटपूतली–बहरोड।

–आवेदक

बनाम

श्री देवदत्त सैनी पुत्र श्री रामनिवास सैनी, उम्र 28 वर्ष, (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) निवासी– नवीन स्कूल के पास, बर्डोद, बहरोड़, जिला– कोटपूतली–बहरोड़, मैसर्स– राजु सरस डेयरी, सब्जि मंडि के पास बर्डोद, बहरोड़, जिला–कोटपूतली–बहरोड़।

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii), / धारा 51 एवं धारा 54 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक 15/1/26

1. यह कि मैं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.05.2025 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत थी और मेरा गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 28 जून 2024 के गजट भाग 1 (ख) के क्रमांक 05 पर अंकित है जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियत्रंण, राज० जयपुर के आदेश क्रमांक 102/15.01.2025 के द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ का कार्य क्षेत्र आवंटित किया हुआ है एवं कोटपूतली–बहरोड जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है एवं राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 11/04/2012 के गजट भाग 2 (क) के द्वारा क्षेत्राधिकार प्रदान किया हुआ है। गजट नोटिफिकेशन, क्षेत्राधिकार नोटिफिकेशन एवं पदस्थापन कार्य क्षेत्र आवंटन आदेश की छायाप्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह है कि दिनांक 02.05.2025 को दोपहर 02:30 बजे मुस्तगीस बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थों की चैकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग सहित जाँच

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

दल के साथ मैसर्स– राजु सरस डेयरी, सब्जि मंडि के पास बर्डोद, वहरोड़, जिला–कोटपूतली–वहरोड़ स्थित दुकान पर पहुँची। उक्त समय उक्त स्थल पर विक्रेता श्री देवदत्त सैनी पुत्र श्री रामनिवास सैनी स्वयं मौजूद रहकर खाद्य पदार्थ आमजन को विक्री वास्ते रखे हुए थे। मैने उक्त विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उनसे उनका नाम एवं पता पूछा जिस पर गवाहन खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशिकांत शर्मा की उपस्थिति में विक्रेता द्वारा अपना नाम श्री देवदत्त सैनी पुत्र श्री रामनिवास सैनी, उम्र 28 वर्ष, (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) निवासी नवीन स्कूल के पास, बर्डोद, वहरोड़, जिला–कोटपूतली–वहरोड़ का होना बताया एवं स्वयं को उक्त खाद्य कारोवार का मालिक एवं विक्रेता होना बताया एवं मौके पर विक्रेता एवं मालिक द्वारा स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मैने उक्त विक्रेता एवं मालिक से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र नं0 22224104000011 होना पाया गया।

3. यह है कि उक्त स्थल का निरीक्षण करने पर निरीक्षण के दौरान दुकान पर रखे करीब 05 किलो Paneer डी फ्रीज में आमजन को विक्री वास्ते रखे में मिलावट का शक होने पर गवाहन खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशिकांत शर्मा की उपस्थिति में विक्रेता श्री देवदत्त सैनी पुत्र श्री रामनिवास सैनी को जरिये फार्म नं. 5ए (जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है) सूचित करते हुए उक्त Paneer में से 1 किलो Paneer वास्ते नमूना जाँच हेतु एक साफ सूखी एवं खाली स्टील के भगौने में क्रय किया। जिसकी कीमत विक्रेता को रु 280/– (अक्षरे दो सौ अस्सी रूपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है। फार्म नं. 5ए एवं रसीद माल खरीद न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

4. यह है कि नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 1 किलो Paneer को हिला मिलाकर विक्रेता एवं गवाहान को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की वोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा पनीर को प्रत्येक बोतल में वरावर भरकर प्रत्येक वोतल में परीरक्षक फार्मेलीन की 20–20 वूंद डालकर एयरटाइट ढक्कन वन्द किया।

लेयल तैयार कर उन पर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाकर प्रत्येक वोतल को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक वोतल पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. AS–101 जो श्रीमान् डी. ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी कोटपूतली–वहरोड़ द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों वोतलों पर नींचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजवूत धागे से वांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागो को अपने जाप्तें में लिया।

5. यह है कि मौके पर की गयी कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता गवाहन को पढाकर, सुनाकर उनके हस्ताक्षर करवाये एवं मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-वहरोड़)

6. यह है कि कार्यालय में उपस्थित होकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर उन पर सील इम्प्रेशन उसी सील का लगाया जिसके द्वारा मौके पर नमूना सील मोहर किया था। नमूने की एक सील्ड बोतल मय फार्म नं0 6 की प्रति के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं फार्म नं. 6 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर श्रीमान् खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर नमूना जमा रसीद एवं फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह है कि नमूने की दो सील्ड बोतल (द्वितिय व तृतीय भाग) को मय फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं नमूने की एक सील्ड बोतल (चतुर्थ भाग) मय फार्म नं० 6 की प्रति के श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ को जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की। जो न्यार्यनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
8. यह है कि उक्त Paneer के नमूने की जांच रिपोर्ट उक्त विक्रेता को कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 65 दिनांक 26.05.2025 द्वारा भिजवायी गयी एवं मुझे जरिये श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी कोटपूतली–बहरोड के उक्त पत्र की प्रतिलिपि के द्वारा प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना एफएसएसए के मानकों के अनुसार नहीं होने से अवमानक एवं भारी वसा के कारण अन्तर्विष्ट बाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ {Substandard & Containing extraneous matter (Foreign Fat) Food} होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट मय कवरिंग पत्र श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी कोटपूतली–बहरोड न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
9. यह है कि मेरे द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ को वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पेश किये जिन्होने प्रकरण के समस्त दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर एवं अध्ययन मनन कर अपने अभियोजन स्वीकृति पत्रांक 132/14.8.25 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्यायनिर्णयन आवेदन श्रीमान् के समक्ष पेश करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त अभियोजन स्वीकृति पत्रांक न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
10. यह है कि उक्त अभियुक्त द्वारा अवमानक एवं भारी वसा के कारण अन्तर्विष्ट बाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ (Substandard & Containing extraneous matter (Foreign Fat), Paneer की बिक्री कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (ii) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं धारा 54 में वर्णित है। अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित किया जावे।
11. आवेदक द्वारा प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तामिल हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये बाद तामिल अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आकर जबाव पेश किया जिसे शामिल मिशल किया गया। अप्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी को सुना गया। अप्रार्थी ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को

दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट में पनीर की फैट की मात्रा को छोडकर सभी स्डेन्डर्ड सही पाये गये है। हमारे द्वारा अन्य से पनीर खरीद कर बेचा जाता है लेकिन दूध में फैट की मात्रा कम–ज्यादा होने के कारण जॉच रिपोर्ट में कुछ वेरियसन पाया गया है। आगे से सरस या अमूल का पनीर ही खरीद कर बेचा जायेगा इसलिए नोटिस को खारीज कर प्रकरण को ड्रोप फरमाने की कृपा करे।

12. पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी/अभियुक्त ने अवमानक एवं भारी वसा के कारण अन्तर्विष्ट बाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ पनीर की विक्री कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अप्रार्थी ने अपने जबाव में खाद्य पदार्थ को अन्य से खरीद किया जाना बताया लेकिन इस संबंध में खरीद बिल या अन्य कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है, जिससे यह साबित हो सके उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो। अतः उक्त कृत्य के लिए अभियुक्त को अधिनियम की धारा 51 एवं 54 के तहत दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है। अतः अभियुक्त/अप्रार्थी श्री देवदत्त सैनी पुत्र श्री रामनिवास सैनी, उम्र 28 वर्ष, (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) निवासी–नवीन स्कूल के पास, वर्डोद, बहरोड़, जिला– कोटपूतली–बहरोड़, मैसर्स– राजु सरस डेयरी, सब्जि मंडि के पास वर्डोद, बहरोड़, जिला–कोटपूतली–बहरोड़ पर 25000/–(पच्चीस हजार रूप्ये) की शास्ति आरोपित की जाती है, जो जरिये चालान एक माह के अन्दर बैंक में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 15/1/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी
अति. जिला कलक्टर
(कोटपूतली-बहरोड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटपूतली